न्यायालय न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली (कोटपूतली–बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी :– ओम प्रकाश सहारण (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र संख्याः–   92/2024

हेमन्त कुमार यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्या. मुख्य चि. एवं स्वा. अधिकारी, अलवर।

– आवेदक

बनाम

श्री रतन यादव पुत्र श्री पप्पुराम, उम्र 30 वर्ष, (खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता) मैसर्स–रितिका सरस मिल्क पार्लर एण्ड किराना स्टोर, नीमराना, अलवर, जिला रेवाडी, हरियाणा, निवासी ग्राम कोलिला सांगा, नीमराना।

–अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 (2) (ii), / 51 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

निर्णय

दिनांक 8.12.25

1. उपर्युक्त उनवानी संस्थित प्रकरण परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री हेमन्त कुमार यादव द्वारा न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया है कि मैं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 14.02.2024 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी अलवर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत था और मेरा गजट नोटिफिकेशन राजस्थान राजपत्र विशेषांक में दिनांक 09 मार्च 2023 के गजट भाग 1 (ख) के क्रमांक 09 पर अंकित है जिसके अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियों प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियत्रंण, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक आयुक्ता०/खासुऔनि./संस्था/2023/900 दिनांक 29.03.2023 के द्वारा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर का कार्य क्षेत्र आवंटित किया हुआ है और अलवर जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र में आते है एवं राजस्थान राजपत्र के विशेषांक दिनांक 11/04/2012 के गजट भाग 2 (क) के द्वारा क्षेत्राधिकार प्रदान किया हुआ है। गजट

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

नोटिफिकेशन, क्षेत्राधिकार नोटिफिकेशन एवं पदस्थापन कार्य क्षेत्र आवंटन आदेश की छायाप्रतियों न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

2. यह है कि दिनांक 14.02.2024 को याद दोपहर 12:00 बजे मुस्तगीस बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने गश्त खाद्य पदार्थो की चैकिंग हेतु सामान नमूनीकरण बैग सहित जाँच दल के साथ मैसर्स रितिका सरस मिल्क पार्लर एण्ड किराना स्टोर, नीमराना, अलवर पर पहुँचा। उक्त समय उक्त स्थल पर विक्रेता श्री रतन यादव पुत्र श्री पप्पुराम स्वयं मौजूद रहकर खाद्य पदार्थ दही आमजन को विक्री वास्ते रखे हुआ था। मैने उक्त विक्रेता को अपना परिचय देकर एवं परिचय पत्र दिखाकर उनसे उनका नाम एवं पता पूछा जिस पर गवाहन श्री रत्ती सैनी की उपस्थिति में विक्रेता द्वारा अपना नाम श्री रतन यादव पुत्र श्री पप्पुराम, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम कोलिला सांगा, नीमराना का होना बताया एवं स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया एवं मौके पर स्वयं के आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। मैने उक्त विक्रेता से खाद्य पदार्थ विक्रय पंजीयनपत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर उक्त विक्रेता ने खाद्य पंजीयन पत्र जारी होना दिखाया एवं छायाप्रति प्रस्तुत की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

3. यह है कि उक्त स्थल का निरीक्षण करने पर निरीक्षण के दौरान उक्त स्थल पर रखी स्टील की ट्रे में रखे करीब 50 किलो दही आमजन को विक्री वास्ते रखे में मिलावट का शक होने पर गवाहन श्री रत्ती सैनी की उपस्थिति में विक्रेता श्री रतन यादव को जरिये फार्म नं. 5ए (जिस पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर एवं मेरे स्वंय के हस्ताक्षर है) सूचित करते हुए उक्त दही में से 1 कि०ग्रा० दही को वास्ते नमूना जाँच हेतु एक साफ सूखी एवं खाली स्टील ट्रे में क्रय किया। जिसकी कीमत विक्रेता को रु 50/– (अक्षरे पचास रूपये मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर एवं मेरे स्वंय के हस्ताक्षर है। फार्म नं. 5ए एवं रसीद माल खरीद न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

4. यह है कि नमूना जांच हेतु क्रय किये गये 1 कि०ग्रा० दही को विक्रेता एवं गवाहान को चार साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा दही को प्रत्येक बोतल में बराबर भरकर प्रत्येक बोतल में परीरक्षक फार्मेलीन की 20–20 बूंद डालकर एयरटाइट ढक्कन बन्द किया। लेवल तैयार कर उन पर विक्रेता, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर व मैने स्वयं ने हस्ताक्षर कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाकर प्रत्येक बोतल को अलग–अलग मोटे खाकी कागज में लपेटकर एवं किनारों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाकर प्रत्येक बोतल पर पेपर स्लिप कोड़ एवं सीरीयल नं. बी–23468 जो श्रीमान् डी. ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी अलवर द्वारा हस्ताक्षरित मेरे पास उपलब्ध थी, को चारों बोतलों पर नीचे से उपर तक पूरे राउण्ड पर गोंद से चिपकाकर मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार 4–4 जगह उपर नीचे एवं दोनों साइडों पर सील चपडी कर प्रत्येक सील्ड नमूने पर विक्रेता के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व आधे खाकी कागज पर आ गये एवं गवाहन व स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील्ड नमूना भागो को अपने जाप्तें में लिया।

5. यह है कि मौके पर की गयी कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे विक्रेता गवाहन को पढाकर, सुनाकर उनके हस्ताक्षर करवाये एवं मैंने स्वयं ने हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
6. यह है कि कार्यालय में उपस्थित होकर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार कर उन पर सील इम्प्रेशन उसी सील का लगाया जिसके द्वारा मौके पर नमूना सील मोहर किया था। नमूने की एक सील्ड वोतल मय फार्म नं0 6 की प्रति के एक आउटर कवर में सील मोहर कर एवं फार्म नं. 6 की दो प्रति अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर श्रीमान् खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर नमूना जमा रसीद एवं फार्म नं. 6 की पुश्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
7. यह है कि नमूने की दो सील्ड वोतल (द्वितिय व तृतीय भाग) को मय फार्म नं0 6 की दो प्रतियों के एक आउटर कवर में सील मोहर कर एवं नमूने की एक सील्ड वोतल (चतुर्थ भाग) मय फार्म नं० 6 की प्रति के श्रीमान् डी.ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी अलवर को जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
8. यह है कि उक्त दही के नमूने की जांच रिपोर्ट उक्त विक्रेता को कार्यालय के रजिस्टर्ड पत्र क्रमांक 152 दिनांक 06.03.2024 द्वारा भिजवायी गयी एवं मुझे जरिये श्रीमान् डी.ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी अलवर के उक्त पत्र की प्रतिलिपि के द्वारा प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त नमूना एफएसएसए के मानकों के अनुसार नहीं होने से अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) होना पाया गया है। जांच रिपोर्ट मय कवरिंग पत्र श्रीमान् डी.ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी अलवर न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
9. यह है कि मेरे द्वारा प्रकरण से संबंधित समस्त दस्तावेज श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर को वास्ते अग्रिम आदेश हेतु पेश किये जिन्होने प्रकरण के समस्त दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर एवं अध्ययन मनन कर अपने अभियोजन स्वीकृति पत्रांक 885 दिनांक 9/10/24 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण मे न्यायनिर्णयन आवेदन श्रीमान् के समक्ष पेश करने हेतु प्राधिकृत किया है। उक्त अभियोजन स्वीकृति पत्रांक न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
10. यह है कि उक्त अभियुक्त द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) दही की बिक्री कर एफएसएसए 2006 की धारा 26 (2) (ii) एवं नियम व विनियम 2011 का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में वर्णित है। अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमान के समक्ष पेश कर निवेदन है कि उक्त अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने से दण्डित किया जावे।
11. आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी/अभियुक्त को तल्वी हेतु नोटिस जारी किया गया। वाद तामिल अप्रार्थी की ओर से यशपाल सिंह उपस्थित आया। अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश कर प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया गया। अप्रार्थी को सुना गया। अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि हमारे द्वारा सरस डेयरी या अमूल डेयरी का खाद्य पदार्थ ग्राहको को वेचान किया जाता है। यदि

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

सरस डेयरी या अमूल डेयरी द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ अवमानक पाया जाता है तो अप्रार्थी को जिम्मेवार नही ठहराया जा सकता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कि गई कार्यवाही अभियुक्त/अप्रार्थी को तंग करने की नियत से की गई है इसलिए अभियुक्त के खिलाफ प्रस्तुत परिवाद को खारिज फरमाया जाकर अप्रार्थी को दोष मुक्त करने की कृपा करे।

12. पत्रावली पर अप्रार्थी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात से यह साफ जाहिर है कि अप्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ दही का विक्रय कर खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। अप्रार्थी द्वारा अपनी वहस में खाद्य पदार्थ को अन्य फर्म से खरीद किया जाना बताया लेकिन अपने कथन के समर्थन में खाद्य पदार्थ खरीद किया जाने का ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य पेश नही किया है। केवल जुवानी कथनों के आधार पर पर्याप्त वजह दस्तावेजी रिकॉर्ड/साक्ष्य के अभाव में खाद्य पदार्थ दही के नमुनों को प्रकरण में प्रयोगशाला से प्रस्तुत की गयी जांच रिपोर्ट को गलत नहीं माना जा सकता है। अतः उक्त कृत्य के लिए अभियुक्त को अधिनियम की धारा 51 के तहत दण्डित किया जाना न्याय संगत प्रतित होता है। अतः अभियुक्त/अप्रार्थी श्री रतन यादव पुत्र श्री पप्पुराम, उम्र 30 वर्ष, (खाद्य कारोवारकर्ता एवं विक्रेता) मैसर्स–रितिका सरस मिल्क पार्लर एण्ड किराना स्टोर, नीमराना, अलवर, जिला रेवाडी, हरियाणा, निवासी ग्राम कोलिला सांगा, नीमराना पर 25000/- पच्चीस हजार मात्र शास्ति आरोपित की जाती है, जो जरिये चालान एक माह के अन्दर बैंक में जमा कराकर रसीद चालान पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्वर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 8-12-25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
न्याय निर्णायक अधिकारी,
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
कोटपूतली